

प्रेषिका,  
नीतू पाठक,  
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,  
कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।  
सेवा में,  
महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद (प्रयागराज)।  
द्वारा,  
प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय,  
गाजियाबाद।

विषय: पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने के विकल्प के संदर्भ में।

माननीय महोदय,


विनम्र निवेदन है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांकित 15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003) के सापेक्ष विज्ञप्ति दिनांकित 26 मई 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4) विज्ञप्ति संख्या-2430/दो-04-06-32 (1)/2001 टी०सी०-1 के द्वारा मेरा चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में हुआ। तदक्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा जारी विज्ञप्ति सं० 974/DR(S)2006 दिनांकित 13-06-2006 के अनुपालन में दिनांक 19.06.2006 को बतौर न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी, मेरे द्वारा सेवा में योगदान दिया गया।

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024, दिनांकित 28 जून 2024 के अन्तर्गत में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। उक्त के संदर्भ में शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का विकल्प पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष रखने की कृपा करें।  
सम्मान सहित

भवदीया,

दिनांक- 03.08.2024


  
(नीतू पाठक) 03/08/24

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,  
कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।

पृष्ठांकन संख्या-619/XV दिनांक-03.08.2024

अग्रसारित,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद (प्रयागराज)।

  
03/08/2024

प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।  
प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का  
संलग्नक

विकल्प-पत्र

1-नाम	नीतू पाठक (NEETU PATHAK) ID No. 6198
2-वर्तमान पदनाम	अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं० 1, गाजियाबाद।
3-वेतनमान	J-5, 144840-194660
4-वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5-राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	लोकसेवा आयोग, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
6-विज्ञप्ति की तिथि-	15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7-विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-	26 मई 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4) विज्ञप्ति संख्या-2430/दो-04-06-32 (1)/2001 टी०सी०-1
8-योगदान की तिथि-	19-06-2006 न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी, (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञप्ति सं० 974/DR(S)2006 दिनांकित 13-06-2006 के अनुपालन में)
9- जन्मतिथि	12-11-1980
10-सेवा निवृत्ति की तिथि	30-11-2040

मैं नीतू पाठक पत्नी श्री गौरव शर्मा, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301  
(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित  
होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर- 

नाम-नीतू पाठक,

पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट  
सं० 1, गाजियाबाद।

घोषणा पत्र

मैं, नीतू पाठक पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट सं० 1, गाजियाबाद यह घोषणा  
करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं०-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य  
छिपाया नहीं गया है।

दिनांक-03.08.2024


हस्ताक्षर- 

नाम-नीतू पाठक,

पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट  
सं० 1, गाजियाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री नीतू पाठक पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट सं० 1, गाजियाबाद। को उपरोक्त  
तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग  
की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

  
03/08/2024

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।